कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

क्रमांकः– ५७

दिनांक :- २७-८-२३

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः– एफ 27(क) (4)गृह–2 /2023 जयपुर दिनांकः– 28.07.2023 द्वारा दौसा जिला में पुलिस थाना राहूवास, बालाहेडी का नवसृजन किया गया है। इन नवसृजित थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलो का क्षेत्राधिकार न्यायिक न्यायालय में निहित किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के सर्कूलर नम्बर 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 एवं 01/पी.आई./2022 दिनांक 03.01.2022 के अनुसरण में एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा के पत्र क्रमांक 8185 दिनांक 28.08.2023 से प्राप्त अनुमोदन अनुसार मैं स्नेहा जाखड, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) व धारा 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवसृजित पुलिस थाना राहूवास, बालाहेडी में उद्भूत होने वाले मामलों का कार्य वितरण दौसा न्यायक्षेत्र में अवस्थित न्यायालयों में निम्न प्रकार से करती हूँः–

1. **पुलिस थाना राहुवासः–** इस पुलिस थाने की सीमा में उत्पन्न होने वाले समस्त फौजदारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट लालसोट को दिया जाता है। इनमें निम्नांकित प्रकरण शामिल नहीं होगें :–

(1) ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के पास रहेगा।

(2) ऐसे प्रकरण जिनका क्षेत्राधिकार किसी विशिष्ट अधिनियम, आदेश या परिपत्र के तहत विशिष्ट न्यायालय या अन्य न्यायालय में निहित है।

2. **पुलिस थाना बालाहेडीः–**
राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग क्रमांकः– एफ 27(क) (4)गृह–2 /2023 दिनांकः– 28.07.2023 के द्वारा पुलिस थाना बालाहेडी को 27 गांवों/क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार दिया गया है इनका कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता हैः–
(क) उक्त अधिसूचना मे क्रम संख्या 1 से 20 एवं 26 से 27 अंकित गांवों/क्षेत्रों की सीमा में उत्पन्न होने वाले समस्त फौजदारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा को दिया जाता है। इनमें निम्नांकित प्रकरण शामिल नहीं होगें :–
(1) ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के पास रहेगा।

(2) ऐसे प्रकरण जिनका क्षेत्राधिकार किसी विशिष्ट अधिनियम, आदेश या परिपत्र के तहत विशिष्ट न्यायालय या अन्य न्यायालय में निहित है।

Scanned with CamScanner

(ख) उक्त अधिसूचना मे क्रम संख्या 21 से 25 पर अंकित गांवों/क्षेत्रों की सीमा में उत्पन्न होने वाले समस्त फौजदारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय को दिया जाता है। इनमें निम्नांकित प्रकरण शामिल नहीं होगेः–

(1) ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के पास रहेगा।

(2) ऐसे प्रकरण जिनका क्षेत्राधिकार किसी विशिष्ट अधिनियम, आदेश या परिपत्र के तहत विशिष्ट न्यायालय या अन्य न्यायालय में निहित है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

-sd-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा जिला दौसा

क्रमांकः– 2250 दिनांकः– 29-8-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय दौसा (दो प्रति मे)
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा
4. न्यायालय ....
5. श्री सहायक निदेशक अभियोजन विभाग दौसा
6. थानाधिकारी पुलिस थाना ....
7. श्री अध्यक्ष/ सचिव अभिभाषक संघ...
8. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय दौसा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
9. आदेश पत्रावली

29.08.2023
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा जिला दौसा

Scanned with CamScanner